मेल / फैक्स / स्पीड पोस्ट

पत्रांक– 15 C2 – 146 / 2013 699
शिक्षा विभाग, बिहार पटना

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,
निदेशक, (उ0 शि0) शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलसचिव,
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत,
विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक 31.03. 2015

विषयः MJC No.- 2458 / 2013 डा0 कमलेश झा बनाम राज्य सरकार के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक CWJC No.- 4955 / 2002 एवं अवमाननावाद सं0– 94 / 2011 में पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद संख्या – 2458 / 2013 के निदेश के अनुपालन के क्रम में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, विश्वविद्यालय से प्राप्त कागजातों में अंकित वस्तुस्थिति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित बजट पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने श्री कमलेश झा, व्याकरण व्याख्याता, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण के वेतनादि भुगतान करने का निर्णय लिया है।

अतएव संप्रति विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि से श्री झा के नियमानुसार अनुमान्य बकाए का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करें तथा श्री झा के दावे की गणना कर विभाग से, यदि आवश्यक हो तो, राशि की मांग शीध्र की जाय।

विश्वासभाजन

Karim 31/03/15
(एस0एम0 करीम)
निदेशक, (उ0 शि0) शिक्षा विभाग।